रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 1998/वैशाख 1, 1920

No. 133] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 1998/VAISAKHA 1, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1998

सा.का.नि. 198 (अ).—चूँकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और साउथ अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार उक्त करार के अनुच्छेद 28 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों ही संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने पर अधिसूचना जारी करने के पश्चात् 28 नवम्बर, 1997 से प्रवृत्त हो गया है।

इसलिए अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन

के रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार

और भारत गणराज्य की सरकार के बीच

करार

प्रस्तावना

दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. मौजूदा कर जिन पर यह करार लागू होगा, नीचे दिए गए हैं :

(क) दक्षिण अफ्रीका में :

(i) आयकर (सामान्य कर) ; और

(ii) कम्पनियों पर गौण कर ;

(जिसे इसके बाद "दक्षिण अफ्रीकी कर" कहा जाएगा) :

(ख) भारत में, आयकर (जिस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;

(जिसे इसके बाद 'भारतीय कर" कहा गया है) ।

2. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा जो दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना एक-दूसरे को देंगे ।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "दक्षिण अफ्रीका" पद से अभिप्रेत है दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होने पर इसमें उस महाद्वीपीय जल-गठन सीमा सहित इसका वह राज्य क्षेत्रीय समुद्र और राज्य क्षेत्रीय समुद्र के बाहर का कोई वह क्षेत्र भी सम्मिलित है जिसे दक्षिण अफ्रीका के कानूनों के तहत और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार एक ऐसे क्षेत्र के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया हो अथवा बाद में नामोद्दिष्ट किया जाए जिसके भीतर दक्षिण अफ्रीका प्रभुत्वसम्पन्न अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके ;और

(ख) "भारत" पद से अभिप्रेत है, भारत गणराज्य का राज्य क्षेत्र तथा उसमें उसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर की वायु-सीमा सम्मिलित है । इस करार के प्रयोजनार्थ इस पद में कोई अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल होगा जिस पर भारतीय कानून तथा विशेषतया समुद्र-कानून, 1982 पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय में यथा-निर्धारित अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत गणराज्य के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा दक्षिण अफ्रीका अभिप्रेत है ;

(घ) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए किसी कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता हो ;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है ;

(i) भारत में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; और

(ii) दक्षिण अफ्रीका में, अन्तर्देशीय राजस्व आयुक्त अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(छ) "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

(i) भारत में, 1 अप्रैल से आरम्भ होने वाली 12 माह की अवधि ;

(ii) दक्षिण अफ्रीका में, आयकर अधिनियम, 1962 में यथा-परिभाषित "कर-निर्धारण वर्ष" ;

(ज) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है कि जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

(झ) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :

(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई कानूनी व्यक्ति अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो ।

(ञ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी और व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कर प्रयोजनों के लिए एक सत्ता के रूप में माना जाता हो ; और

(ट) "कर" पद से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा दक्षिण अफ्रीकी कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी चूक अथवा भूल के बारे में देय हो जिस पर यह करार लागू होता हो अथवा जो इन करों के संबंध में लगाए गए अर्थ-दण्ड का द्योतक हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी समय इस करार के उपबंधों के प्रवर्तन का संबंध है, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक उनमें परिभाषित न किए गए किसी भी पद का वही अर्थ होगा जो अर्थ उन करों के प्रयोजनार्थ, जिन पर यह करार लागू होता है, उक्त राज्य के कानून के तहत उस समय प्रचलित होगा और उक्त राज्य के अन्य कानूनों के तहत किसी भी प्रचलित पद के अर्थ की तुलना में उस राज्य के प्रवर्तनीय कर कानूनों के तहत किसी भी पद के अर्थ का अधिक महत्व होगा ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है :

(क) दक्षिण अफ्रीका में कोई व्यष्टि जो दक्षिण अफ्रीका में साधारणतया निवासी है और कोई अन्य व्यक्ति जिसका दक्षिण अफ्रीका में कोई प्रभावी प्रबन्ध स्थान हो ।

(ख) भारत में, कोई ऐसा व्यक्ति, जिस पर भारत के कानूनों के तहत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है, परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर भारत में स्रोत पर उस की एक मात्र आय पर ही कर लगाया जा सके ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस संविदाकारी राज्य का ही निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) है ;

(ख) यदि उसे संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी-निवास गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही संविदाकारी राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी संविदाकारी राज्य में नही रहता हो, तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान स्थित है । यदि उस राज्य, जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान स्थित हो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो तब संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न को तय करेंगे ।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) प्रबन्ध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ) कोई कार्यशाला ;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुंआ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान, जिसमें कोई ऐसा प्रतिष्ठापन अथवा संरचना की शामिल है जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा विदोहन के लिए किया जाता हो;

(छ) कोई भाण्डागार, जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधा मुहैया करता हो।

3. कोई भवन स्थल, कोई निर्माण, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा ऐसे स्थल अथवा परियोजना से संबंधित किसी पर्यवेक्षी कार्यकलाप को केवल तभी एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि यह छः महीनों से अधिक तक की अवधि तक चलता रहे ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

(क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा माल की सुपुर्दगी ही के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;

(ख) केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा सुपुर्दगी के प्रयोजनार्थ ही किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ ही उक्त उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना ;

(घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ ही कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;

(ङ) उद्यम के लिए केवल किसी अन्य उपक्रमात्मक अथवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;

(च) उप-पैराग्राफ (क से ङ) में उल्लिखित कार्यकलापों के मात्र संयोजन के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना, बशर्ते कि उस संयोजन के परिणामतः कारोबार के निश्चित स्थान के समग्र कार्य-कलाप उपक्रमात्मक अथवा सहायक स्वरूप के हों ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी स्वतंत्र हैसियत वाले अभिकर्ता से भिन्न हो, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता है और वह किसी उद्यम की ओर से कार्य करता हो और जिसे किसी संविदाकारी राज्य में उक्त उद्यम के नाम पर संविदाएं करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह उस प्राधिकार का आम तौर पर प्रयोग भी करता हो, तो उस राज्य में उक्त उद्यम के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं भी कार्यकलापों के बारे में उस उद्यम का कोई स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप पैरा 4 में उल्लिखित कार्यकलापों तक ही सीमित न हों, जिनका यदि किसी नियत कारोबार के स्थान से प्रयोग किया जाए तो इस बात से ही उक्त पैरा के उपबंधों के अधीन यह कारोबार का नियत स्थान एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगा ।

6. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में केवल इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य अभिकर्ता के माध्यम से कारोबार करता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों ।

7. यह तथ्य कि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो केवल इसी बात से उन दोनों में से कोई भी कम्पनी एक दूसरे की स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति, जिसमें कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय भी शामिल है, से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान, नौकाएं तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं समझे जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा उसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो । यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो, तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो कि उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए हों ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां तक एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में, ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण वे लाभ हुए माने जाएंगे, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्य-कलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, चाहे वे उस संविदाकारी राज्य में किए गए हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों । इन कटौतियों की अनुमति उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानूनों में निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अनुसार दी जाएगी ।

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर किसी स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य को प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी । तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा ।

5. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी गई हैं ।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभ को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि इसके विरुद्ध कोई उचित तथा पर्याप्त कारण उपस्थित न हों ।

7. जहां लाभ में आय की वे मदें शामिल हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान अथवा जलयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों में निम्नलिखित लाभ भी शामिल होंगे :

(क) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में प्रयुक्त जलयानों अथवा वायुयानों के बेयर-बोट आधार पर किराये से प्राप्त लाभ ;

(ख) आधानों के प्रयोग अथवा किराए से प्राप्त लाभ ;

यदि ऐसे लाभ उन लाभों के प्रासंगिक हों जिन पर पैराग्राफ 1 के उपबंध लागू होते हों ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से हुए लाभ के रूप में माना जाएगा तथा अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के मामलों में लागू नहीं होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभ पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9

सम्बद्ध उद्यम

जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबन्ध नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी के भी मामले में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हों, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के न होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त होता किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को सम्मिलित करता है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा, यदि वह दूसरा राज्य समायोजन को न्यायोचित समझे । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 10% से अधिक नहीं होगा ।

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इन सीमाओं को लागू करने के तरीकों को आपसी करार द्वारा हल करेंगे ।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारिता के ऋण-दावे नहीं हो और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हैं । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, कर लगाया जाएगा । परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट होगी यदि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है ।

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा दक्षिण आफ्रीकी रिजर्व बैंक; अथवा

(ग) कोई अभिकरण अथवा सहायक माध्यम जो पूर्ण रूप से एक संविदाकारी राज्य की सरकार के स्वामित्व में हो और जिसे इस पैराग्राफ के प्रयोजन हेतु संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित कर दिया गया हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" पद से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण-संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार सम्मिलित हों । देर से की जाने वाली अदायगी के लिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो, और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उसका कोई निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक नियत स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और ऐसा ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान स्थित है।

7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज अदा किया गया है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियां" पद से साहित्यिक कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी कापीराइट (जिनमें सिनेमा फिल्में तथा रेडियो या टेलीविजन से प्रसारण के लिए फिल्में, टेपें या डिस्कें भी शामिल हैं), किसी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण या औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव के संबंध में किसी सूचना के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां अभिप्रेत है ।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद में प्रबंधकीय तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, किसी रकम की अदायगियां अभिप्रेत हैं, लेकिन अनुच्छेद 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए अदायगियां शामिल नहीं हैं ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति अथवा संविदा के संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती हैं, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं । ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद-7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

6. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायल्टियां और फीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, तथा वह अधिकार, सम्पत्ति अथवा संविदा जिसके संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो और ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच सहमत हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी अचल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित किसी ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को अंतरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा ।

4. किसी कम्पनी के ऐसे शेयर अथवा इसी प्रकार के अधिकारों अथवा किसी ऐसी भागीदारी, न्यास अथवा सम्पदा, जिसकी परिसंपत्तियां प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के रूप में हों, के हित के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों अथवा किसी ऐसी कम्पनी में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो, इसी प्रकार के अधिकारों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री, विनिमय अथवा वितरण से प्राप्त अभिलाभों पर भी उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ उस संविदाकारी राज्य में कर योग्य होंगे जिसका अंतरणकर्ता निवासी हो ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. किसी संविदाकारी राज्य के निवासी किसी व्यष्टि द्वारा व्यावसायिक सेवाओं या स्वतंत्र स्वरूप वाले क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त की गई आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि उसे अपने क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु दूसरे संविदाकारी राज्य में नियमित रूप से कोई निश्चित स्थान उपलब्ध नहीं हो । यदि उसे ऐसा निश्चित स्थान उपलब्ध हो तो ऐसी आय पर उक्त दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है किन्तु उतनी ही आय पर कर लगाया जाएगा जितनी उस निश्चित स्थान के कारण प्राप्त हुई मानी जा सकती हो । इस करार के प्रयोजनार्थ जहां कोई व्यष्टि दूसरे राज्य का निवासी है और वह किसी संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ या समाप्त होने वाली बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक अवधि या अवधियों के लिए उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरता है तो उसे दूसरे राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हुआ माना जाएगा और उक्त दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों से प्राप्त की गई उसकी आय उस निश्चित स्थान से उद्भूत हुई आय मानी जाएगी ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा कार्य चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 15

पराकलित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और उस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन का प्रयोग दूसरे संविदाकारी राज्य में न किया गया हो । यदि ऐसे नियोजन का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा पारिश्रमिक जो वहां से प्राप्त होगा उस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) यदि प्राप्तकर्ता संबंधित उक्त वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर कम से कम 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है; तथा

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन के संबंध में उन पर सवार होकर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर उसी राज्य में लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

अनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसे निजी क्रियाकलापों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, जिस राज्य में ये कार्यकलाप किए गए हों और यदि ऐसे कार्यकलाप किसी यात्रा की रूपरेखा के अंतर्गत निष्पादित किए गए हों जो अन्य संविदाकारी राज्य, उसके राजनैतिक उपभाग, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सार्वजनिक संस्थान से पूर्णतया या मुख्यतया सहायता प्राप्त करते हों ।

अनुच्छेद - 18

पेंशन तथा वार्षिकियाँ

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई पेंशन तथा इसी प्रकार की वार्षिकियां और पारिश्रमिक, जिनकी अदायगी अन्य संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को की गई हों, उन पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लग सकेगा ।

2. "वार्षिकी" पद का अर्थ उस नियत राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित समयावधि के दौरान नियत अवधि पर समय-समय पर देय हो ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से भिन्न वेतनों, मजदूरियों अथवा इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा :

परंतु, ऐसे वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हैं और व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा

(ii) सेवाएं प्रस्तुत करने के प्रयोजन मात्र से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उसमें से उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा ;

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा यदि व्यष्टि उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारबार के सिलसिले में की गई सेवाओं से संबंधित वेतनों, मजदूरियों तथा इसी प्रकार के पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी, प्रशिक्षु और व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थी

1. किसी विद्यार्थी, प्रशिक्षु अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थी, जो एक संविदाकारी राज्य में केवल अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है और जो ऐसी उपस्थिति के तुरंत पूर्व अन्य

संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था, उसे उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य के बाहर से प्राप्त अदायगियों पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. ऐसी अदायगियां, जो किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को प्रथमोल्लिखित राज्य में नियोजन से पारिश्रमिक की राशि के रूप में प्राप्त होती है, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथमोल्लिखित राज्य की मुद्रा में 3,000 अमरीकी डालर की समतुल्य राशि से अधिक न हो, उन पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख के बाद के पांच वर्षों तक की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगी ।

अनुच्छेद - 21

अन्य आय

किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत आय की ऐसी मदें, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, उन पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 22

दोहरे कराधान का अपाकरण

दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :

(क) भारत में, जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में, भारत उस निवासी की उस आय पर कर से कटौती की अनुमति उतनी रकम के बराबर देगा, जितनी रकम की अदायगी दक्षिण अफ्रीकी कर के लिए की गई है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो अथवा कटौती के द्वारा दी गई हो । तथापि, ऐसी कटौती की राशि आयकर (कटौती किए जाने से पूर्व यथा संगणित) के उतने भाग से अधिक नहीं होगी जो उस आय के कारण उत्पन्न हुई हो, जिस पर दक्षिण अफ्रीका में कर लगाया जा सकता है ।

(ख) इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर योग्य आय के संबंध में, दक्षिण अफ्रीकी निवासियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अदा की गई भारतीय कर की राशि की कटौती, दक्षिण अफ्रीकी वित्तीय कानून के अनुसार देय करों से की जाएगी । तथापि, ऐसी स्थिति में ऐसी कटौती की राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो सकल देय दक्षिण अफ्रीकी कर के उसी अनुपात में हो जो संबंधित आय की सकल आय के बराबर हो ।

अनुच्छेद - 23

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों को वैसे ही उपबंधों के अधीन लगाए जाने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हों । यह उपबंध अनुच्छेद - 1 के उपबंधों के होते हुए भी उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक - समान परिस्थितियों में तथा एक-समान शर्तों के अधीन समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि 10 प्रतिशत की उस दर से अधिक न हो जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के उसी कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है और न ही इस करार के अनुच्छेद-7 के पैराग्राफ-1 के विपरीत हो ।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह अन्य संविदाकारी राज्यों के निवासियों को, कर प्रयोजनों के लिए नागरिक हैसियत अथवा पारिवारिक दायित्वों के कारण, ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहतें अथवा घटौतियां प्रदान करे जो वह अपने निवासियों को देता हो ।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो इस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है ।

5. ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अनुच्छेद -9 के पैराग्रापफ-1 अनुच्छेद -11 के पैराग्राफ 5 अथवा अनुच्छेद-12 के पैराग्राफ-6 के उपबंध लागू होते हैं, वहां एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त ब्याज, रायल्टियां, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तथा अन्य अदा किए गए संक्रितरण ऐसे उद्यम के कर योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ऐसी ही शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे जैसे कि उन्हें प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया होता ।

6. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस करार के विषय हैं ।

अनुच्छेद - 24

परस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो कि इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो यह, उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि यह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद -23 के पैराग्राफ-1 के अंतर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान किया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नही है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो यह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी करार को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों में कोई भी समय-सीमा निर्धारित क्यों न हो ।

3. इस करार की व्यवस्था करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है ।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से मौखिक मतों का आदान-प्रदान उपयुक्त प्रतीत हो, तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी संयुक्त आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं ।

अनुच्छेद - 25

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी वस्तावेजों सहित ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों को अथवा इस करार में आने वाले संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद - 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस करार के अंतर्गत आने वाले करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हों । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ इस तरह नहीं लगाया जाएगा कि उससे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाध्यता लागू हो जाए ;

(क) ऐसे प्रशासनिक उपाय करना जो उस राज्य अथवा अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथाओं से भिन्न हो ;

(ख) ऐसी सूचना की आपूर्ति करना जो उस राज्य अथवा उसे अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासन की सामान्य स्थितियों में लागू न हो;

(ग) ऐसी सूचना की आपूर्ति करना जिससे किसी व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया या सूचना का पता चले और जिसका प्रकटीकरण सार्वजनिक नीति के विपरीत हो ।

अनुच्छेद - 26

वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य, जहां तक उनके संबंधित आन्तरिक कानून अनुमति देते हैं वहां तक एक दूसरे को सहायता देंगे ताकि अनुच्छेद 2 में उल्लिखित करों के साथ-साथ ऐसे करों के संबंध में ब्याज और अर्थदण्ड को वसूल किया जा सके, बशर्ते कि ऐसी सहायता मांगने वाले संविदाकारी राज्य द्वारा करों की वसूली के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हों ।

2. जो दावे सहायता हेतु अनुरोध के विषय होंगे उन्हें सहायता देने वाले संविदाकारी राज्य में देय करों पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और अनुच्छेद -25 के पैराग्राफ 1 के उपबंध ऐसी किसी सूचना पर भी लागू होंगे जो इस अनुच्छेद के आधार पर किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को दी जाती है।

3. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस अनुच्छेद के उपबंधों को लागू करने की विधि तय करेंगे ।

अनुच्छेद - 27

राजनयिक मिशनों के सदस्य और वाणिज्य दूत संबंधी पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशनों के सदस्यों अथवा वाणिज्य दूत संबंधी पदों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 28

प्रवर्तन

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानून के द्वारा अपेक्षित कार्यविधियों के पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेगा । यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना की तारीख को प्रवर्तित होगा ।

2. इस करार के उपबंध निम्नानुसार लागू होंगे :

(क) दक्षिण अफ्रीका में, जिस तारीख को यह करार लागू होता है उसकी अगली जनवरी के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध में ;

(ख) भारत में :

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है, उस कैलेण्डर वर्ष के बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में क्रेडिट किए गए या संदत्त राशियों के लिए स्रोत पर रोके लिए गए करों के संबंध में ;

(ii) जिस कैलण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उस कैलेण्डर वर्ष के बाद में शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए अन्य करों के संबंध में ।

अनुच्छेद - 29

समापन

1. यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा, परन्तु दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने के वर्ष में पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष के जून मास की 30 तारीख तक दूसरे संविदाकारी राज्य को करार के समापन की लिखित सूचना देकर राजनयिक माध्यम से इस करार को समाप्त कर सकता है ।

2. ऐसी परिस्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगा :-

(क) दक्षिण अफ्रीका में, जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसी सूचना दी जाती है उस कैलेण्डर वर्ष के अंत में शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में ;

(ख) भारत में :

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसी सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में क्रेडिट की गई अथवा अदा की गई राशियों के लिए स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में ; और

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसी सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष में शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए अन्य करों के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छियानबे के दिसम्बर माह के चौथे दिन, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा इसके दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में किसी भी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा ।

(पी॰ चिदम्बरम)
वित्त मंत्री
भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

(ऐलेक ऐर्विन)
व्यापार और उद्योग मंत्री
दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की
सरकार की ओर से

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच आज सम्पन्न हुए करार पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं जो कि उक्त करार का अनिवार्य अंग होंगे :

1. करार के किसी भी उपबंध के संबंध में जिसके अनुसार किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्राप्त होने वाली आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाए, यह समझा जाए कि ऐसी आय पर अनुच्छेद 22 के उपबंधों की शर्तों के अधीन प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जाए ।

2. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में यह माना जाता है कि जहां किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है और वह उस उद्यम अथवा संबद्ध उद्यम द्वारा की गई किसी संविदा के लिए समझौता, निष्पादन अथवा उसकी पूर्ति में स्वयं अथवा उस उद्यम या किसी संबद्ध उद्यम के अन्य भागों के साथ मिलकर उसमें हिस्सा लेता है तो दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले संविदा के लाभों का वह अंश उस स्थायी संस्थापन से उद्भूत हुआ माना जाएगा जो उस संविदा के लिए समझौते, निष्पादन अथवा उसकी पूर्ति के लिए उक्त स्थायी संस्थापन द्वारा किए गए योगदान से संबंध रखता है ।

3. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संबंध में, यह सहमति हुई है कि उसमें उल्लिखित सीमाएं किसी भी दशा में करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को विद्यमान सीमाओं से कम नहीं होंगी ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छियानबे के दिसम्बर माह के चौथे दिन, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और दोनों पाठ प्रामाणिक हैं । अर्थ-निरूपण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा ।

(पी. चिदम्बरम)	(एलेक एर्विन)
वित्त मंत्री	व्यापार और उद्योग मंत्री
भारत गणराज्य की	दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की
सरकार की ओर से	सरकार की ओर से

[अधिसूचना सं. 10579/98-मि. सं. 501/1/93-वि.क.प्र.]

विजय माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1998

INCOME-TAX

G.S.R. 198(E).—Whereas the annexed agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of South Africa for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, has entered into force on the twenty-eighth day of November, 1997, in accordance with Article 28 of the said Agreement, after the notification by both the contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said agreement ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE

PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

Preamble

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of South Africa desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

Article 1

Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes Covered

1. The existing taxes to which this Agreement shall apply are:

(a) in India, the income tax (including any surcharge thereon);

(hereinafter referred to as "Indian tax");

(b) in South Africa:

(i) the income tax (the normal tax); and

(ii) the secondary tax on companies;

(hereinafter referred to as "South African tax").

2. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

General Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "India" means the territory of the Republic of India and includes the territorial sea and airspace above it. For the purposes of this Agreement the term shall cover any other maritime zone in which the Republic of India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law in particular as laid down in the UN Convention of the Law of the Sea, 1982; and

(b) the term "South Africa" means the Republic of South Africa and, when used in a geographical sense, includes the territorial sea thereof as well as any area outside the territorial sea, including the continental shelf, which has been or may hereafter be designated, under the laws of South Africa and in accordance with international law, as an area within which South Africa may exercise sovereign rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or South Africa, as the context requires;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate for tax purposes;

(e) the term "competent authority" means:

(i) in India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and

(ii) in South Africa, the Commissioner for Inland Revenue or his authorised representative;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "fiscal year" means:

(i) in India, the twelve-month period beginning on 1 April;

(ii) in South Africa, the "year of assessment" as defined in the Income Tax Act, 1962;

(h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(i) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State:

(ii) any legal person or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(j) the term "person' includes an individual, a company and any other body of persons which is treated as an entity for tax purposes under the taxation laws in force in the respective Contracting States; and

(k) the term "tax" means Indian tax or South African tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. As regards the application of the provisions of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means:

(a) in India, any person who, under the laws of India, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, but this term does not include any person who is liable to tax in India in respect only of income from sources in India;

(b) in South Africa, any individual who is ordinarily resident in South Africa and any other person which has its place of effective management in South Africa;

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources, including an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources; and

(g) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others.

3. A building site, a construction, installation or assembly project or any supervisory activity in connection with such site or project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; and

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property, including income from agriculture or forestry, situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with and subject to the limitations prescribed in the taxation laws in that Contracting State.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and Air Transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include:

(a) profits derived from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft used in international traffic,

(b) profits derived from the use or rental of containers,

if such profits are incidental to the profits to which the provisions of paragraph 1 apply.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

Associated Enterprises

1. Where:

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions,

have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits if that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall settle the mode of application of these limitations by mutual agreement.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights participating in profits (not being debt-claims), as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or

fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is derived and beneficially owned by:

(a) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State;

(b) the Reserve Bank of India or the South African Reserve Bank; or

(c) any agency or instrumentality which is wholly owned by the Government of a Contracting State and which has been approved in writing by the competent authorities of the Contracting States for the purposes of this paragraph.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of this Article.

5. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

Royalties and Fees for Technical Services

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films and films, tapes or discs for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret

formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services by technical or other personnel, but does not include payments for services mentioned in Article 15.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base with which the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains of an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of shares or similar rights in a company, or of an interest in a partnership, trust or estate, the assets of which consist principally of immovable property situated in a Contracting State, may be taxed in that State.

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the sale, exchange or other disposition, directly or indirectly, of shares or similar rights in a company, other than those mentioned in paragraph 4, which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base. For the purposes of this Agreement, where an individual

who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities that are performed in that other State shall be attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

(b) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16

Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Entertainers and Sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or sportsperson from his personal activities as such shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised if the activities are exercised within the framework of a visit which is wholly or mainly supported by the other Contracting State, political subdivision, a local authority or public institution thereof.

Article 18

Pensions and Annuities

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State.

2. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

Government Service

1. (a) Salaries, wages and similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 or 18 shall apply to salaries, wages and similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Students, Apprentices and Business Trainees

1. A student, apprentice or business trainee who is present in a Contracting State solely for the purpose of his education or training and who is, or immediately before being so present was, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State on payments received from outside that first-mentioned State for the purposes of his maintenance, education or training.

2. Payments which a student or business apprentice receives as remuneration from employment in the first-mentioned State, in an amount not exceeding a sum equivalent to 3000 US dollars in the currency of the first-mentioned State during any fiscal year shall be exempt from tax in the first-mentioned State during the period ending five years after the date of his first arrival in the first-mentioned Contracting State.

Article 21

Other Income

Items of income arising in a Contracting State which are not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement may be taxed in that State.

Article 22

Elimination of Double Taxation

Double taxation shall be eliminated as follows:

(a) In India, where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in South Africa, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the South African tax paid, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in South Africa.

(b) In South Africa, Indian tax paid by residents of South Africa in respect of income taxable in India, in accordance with the provisions of the Agreement, shall be deducted from the taxes due according to South African fiscal law. Such deduction shall not, however, exceed an amount which bears to the total South African tax payable the same ratio as the income concerned bears to the total income.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is not more than 10 percentage points higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 5 of Article 11 or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties, fees for technical services and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

6. In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of the Agreement.

Article 24

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a joint commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 25

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information, including documents, as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic law of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of

appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 26

Assistance in Recovery

1. The Contracting States shall, to the extent permitted by their respective domestic law, lend assistance to each other in order to recover the taxes referred to in Article 2 as well as interest and penalties with regard to such taxes, provided that reasonable steps to recover such taxes have been taken by the Contracting State requesting such assistance.

2. Claims which are the subject of requests for assistance shall not have priority over taxes owing in the Contracting State rendering assistance and the provisions of paragraph 1 of Article 25 shall also apply to any information which, by virtue of this Article, is supplied to the competent authority of a Contracting State.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of the provisions of this Article.

Article 27

Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

Entry into Force

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications.

2. The provisions of the Agreement shall apply:

(a) in India:

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited in the fiscal year beginning in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force; and

(ii) in respect of other taxes, for any fiscal year beginning in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;

(b) in South Africa, in respect of fiscal years beginning on or after the first day of January next following the date upon which the Agreement enters into force.

Article 29

Termination

1. This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may terminate the Agreement through the diplomatic channel, by giving to the other Contracting State written notice of termination not later than 30 June of any calendar year starting five years after the year in which the Agreement entered into force.

2. In such event the Agreement shall cease to apply:

(a) in India:

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited in the fiscal year beginning in the calendar year next following that in which such notice is given; and

(ii) in respect of other taxes, for any fiscal year beginning in the calendar year next following that in which such notice is given;

(b) in South Africa, in respect of fiscal years beginning after the end of the calendar year in which such notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE at New Delhi in duplicate, this Fourth day of December, 1996, in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

(P. CHIDAMBARAM)
The Minister of Finance
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

ALEC ERWIN
The Minister of Trade and Industry
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PROTOCOL

At the signing of the Agreement concluded today between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of South Africa for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the said Agreement:

1. With reference to any provision of the Agreement in terms of which income derived by a resident of a Contracting State may be taxed in the other Contracting State, it is understood that such income may, subject to the provisions of Article 22, also be taxed in the first-mentioned Contracting State.

2. With reference to paragraph 1 of Article 7, it is understood that where a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, participates, itself or together with other parts of that enterprise or with an associated enterprise, in the negotiation, conclusion or fulfilment of a contract entered into by that enterprise or associated enterprise, there shall be attributed to the permanent establishment that portion of the profits of the contract arising in the other State as relates to the contribution by the permanent establishment to the negotiation, conclusion or fulfilment of the contract.

3. With reference to paragraph 3 of Article 7, it is agreed that the limitations referred to therein shall in no event be less than those prevailing on the day of the signing of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE at New Delhi in duplicate, this Fourth day of December 1996, in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

(P. CHIDAMBARAM)
The Minister of Finance
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

ALEC ERWIN
The Minister of Trade and Industry
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

[Notification No. 10579/98-F. No. 501/1/93-FTD]

VIJAY MATHUR Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998